निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 58/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

अब्दुल रहमान पुत्र स्व. श्री अब्दुल रशीद उर्फ चांद जाति मुसलमान निवासी म.नं. 4601 मौलाना जियाउद्दीन का मदरसा, हॉडीपुरा, चार दरवाजा, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री लोकेश कुमार मीणा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर ।
3. श्रीमती जैबुन निशा पत्नी स्व. श्री अब्दुल रशीद
4. रेहाना बानो पत्नी स्व. श्री अब्दुल रशीद
5. फरहान खान पुत्री स्व. श्री अब्दुल रशीद
6. इरफान खान पुत्र स्व. श्री अब्दुल रशीद
7. सुलतान खान पुत्र स्व. श्री अब्दुल रशीद
8. यास्मिन पुत्री स्व. श्री अब्दुल रशीद
9. आजम खान पुत्र स्व. श्री अब्दुल रशीद
10. गाजी बाबा पुत्र स्व. श्री अब्दुल रशीद

    समस्त निवासी म.नं. 4601 मौलाना जियाउद्दीन का मदरसा, हॉडीपुरा, चार दरवाजा, जयपुर।
11. गोसिया बानो पुत्री अब्दुल रशीद पत्नी मो. आयूब निवासी 23, अहमद नगर, दरबार कालोनी लक्ष्मण डूंगरी, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/2013 ब उनवानी ताजुद्दीन बनाम मुस्लिम वक्फ बोर्ड व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री प्रदीप कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री कृष्ण कुमार पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 11.06.2024

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 03/2013 ब उनवानी ताजुद्दीन बनाम मुस्लिम वक्फ बोर्ड व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी 2 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार पारीक ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण ताजुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 13.11.1984 को जागीर अधिनियम के अन्तर्गत खसरा नम्बर 386, 390 व 392 को निजी सम्पत्ति घोषणा हेतु पेश किया था जो अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों की नाजायज आपत्तियों के कारण लम्बी कानूनी कार्यवाहियों के कारण अब तक ज्यो का त्यों पडा हुआ है तथा काफी वर्षो से बहस अन्तिम सुनवाई हेतु पेश रहा है । गत तारीख पर प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बहस सुने जाने हेतु काफी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया तो अधीनस्थ न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि यह मुस्लिम वक्फ बोर्ड से संबंधित प्रकरण है मै इस प्रकारण की अन्तिम बहस नहीं सुनुगा तथा ना ही फैसला करूंगा आप या आप कलक्टर साहब के यहां प्रार्थना पत्र लगा कर मुकदमा अन्य किसी न्यायालय को ट्रान्सफर करा लो । यह सुन कर प्रार्थी को काफी मानसिक परेशानी हुई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कहे गए शब्दों से यह साफ तौर पर निश्चत हो गया कि अधीनस्थ न्यायालय इस प्रकरण को निर्णित नहीं कर केवल मात्र पेशी बढ़ाने को ही अग्रसर रहेगा। इस कारण प्रार्थी को न्याय प्राप्त होने मे विलम्ब हो रहा है इसलिए प्रार्थी को यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के व्यवहार से प्रार्थी को न्याय प्राप्ति की आशा ही धूमिल हो गई। क्योंकि प्रकरण वर्ष 1986 से लम्बित है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

5. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। इससे प्रार्थी के कथन को बल मिलता है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने पर समहत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/2013 ताजुद्दीन बनाम मुस्लिम वक्फ बोर्ड व अन्य को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर मे स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24.06.2024 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर में उपस्थित हो।

8. अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर व अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner